

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
संकल्प

विषय :- बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन/भत्ते एवं सेवा शर्तों आदि का निर्धारण ।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संकल्प सं०- 388 दिनांक 21.01.2014 द्वारा बिहार राज्य खाद्य आयोग, बिहार, पटना का गठन किया गया है । इस क्रम में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण विचाराधीन था ।

2. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन/भत्ते, सेवाशर्तों आदि का निर्धारण निम्नानुसार करने का निर्णय लिया गया है:-

(1) **वेतन एवं भत्ते :-** (i) अध्यक्ष ऐसे वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा जो वेतन एवं भत्ता राज्य के राज्य मंत्री को अनुमान्य होगा ।

(ii) अध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन का हकदार होगा जो बिहार राज्य के सरकार के सचिव को अनुमान्य होगा ।

(2) **श्रेणी एवं प्रतिष्ठा:-** अध्यक्ष एवं सदस्यों की श्रेणी क्रमशः राज्य के राज्य मंत्री एवं राज्य के सरकार के सचिव के अनुरूप अनुमान्य होगी ।

(3) **सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर मूल सेवा से निवृत्ति:-** वैसे सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में थे, उन्हें आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख के प्रभाव से ऐसी सेवा से निवृत्त माना जाएगा । उपर्युक्त वर्णित किसी पद पर यदि सेवा निवृत्त सरकारी सेवक को नियुक्त किया जाता है, तो उस स्थिति में वह नियमानुसार नियमित पुनर्नियुक्ति हेतु अनुमान्य वेतन एवं भत्तों का हकदार होगा ।

(4) **छुट्टी:-** अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित रूप से छुट्टी का हकदार होगा :-

(क) समय-समय पर यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के अनुसार उपार्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी ।

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों को यथा अनुमान्य असाधारण छुट्टी ।

(5) **पेंशन:-** (i) ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर या अधिवर्षिता की आयु होने तक, जो भी पहले हो, अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था, उस सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ प्राप्त करने का हकदार होगा, जो यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके वेतन में से सकल पेंशन की समतुल्य राशि को, जिसमें पेंशन का कोई भाग जो रूपांतरित हुआ हो और अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जाएगा तथा वह अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ पृथकतः करने का हकदार होगा ।

(ii) अध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य की सेवा में रहा हो, यदि वह उपर्युक्त उप कंडिका में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता हो, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा की गणना ऐसी नियुक्ति तुरंत पहले या जिस सेवा में रहा हो उस सेवा पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिए की जाएगी ।

20/01

(iii) ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को कोई पेंशन देय नहीं होगी, जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदग्रहण करने के तुरंत पहले केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं रहा हो ।

(6) भविष्य निधि :- (1) ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार के सेवा में रहा हो, और जिसे सामान्य भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि जारी रख सकेगा, जिस तारीख को वह अपनी मूल सेवा में लागू नियमों के अनुसार जारी रख सकेगा, जिस तारीख को वह अपनी मूल सेवा में लागू नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त नहीं हो जाता । अंशदायी भविष्य निधि की दशा में, उस निधि में देय नियोजक को अंशदान आयोग में अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति की तारीख से, उन परिलब्धियों के आधार पर आयोग द्वारा देय होगा, जो वह नियुक्ति के तुरंत पहले धारित पद पर प्राप्त कर सकता ।

इसके अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने वाला सदस्य अपनी नियुक्ति के छः माह के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप में अपनी विकल्प संसूचित करेगा और इस प्रकार प्रयुक्त विकल्प अंतिम होगा ।

(2) उपर्युक्त कंडिका (1) में वर्णित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में भविष्य निधि की कोई योजना नहीं होगी ।

(7) (क) आयोग के अध्यक्ष का वेतन एवं अन्य भत्ता, राज्य मंत्री के अनुरूप निम्नवत् होगा :-

- (i) वेतन — 25000/- (पच्चीस हजार) रु० प्रति माह
- (ii) आतिथ्य भत्ता — 17500/- (सत्रह हजार पॉच सौ) रु० प्रति माह
- (iii) कर्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा भत्ता — निजी कार से सड़क मार्ग देय होगा ।
- (iv) दैनिक भत्ता — 1000/- (एक हजार) रु० प्रतिदिन

राज्य सरकार द्वारा राज्य मंत्रियों को देय उपर्युक्त वेतनादि की दरों में संशोधन किये जाने पर वह आयोग के अध्यक्ष के लिए भी लागू होगा ।

(ख) इन्हें अन्य सुविधाएँ निम्न प्रकार होंगी :-

(i) आवास की सुविधा — सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उन्हें वेतन, आतिथ्य भत्ता एवं दैनिक भत्ता मद में देय कुल राशि का 20 (बीस) प्रतिशत मकान किराया भत्ता के रूप में देय होगा ।

(ii) वाहन की सुविधा — उन्हें एक ए०सी० वाहन (प्रति माह 250 (दो सौ पचास) लीटर अधिकतम ईंधन की सीमा तक) उपलब्ध कराया जाएगा । वाहन अनुपलब्धता की स्थिति में एक ए०सी० एम्बेसडर कार अथवा पर्यटन विभाग द्वारा एम्बेसडर कार के लिए निर्धारित दर के अन्दर एक ए०सी० वाहन भाड़े पर उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिसके लिए परिचालन की मासिक अधिसीमा 3000 (तीन हजार) किलोमीटर होगी ।

(iii) दूरभाष की सुविधा — उन्हें कार्यालय एवं आवास पर एक-एक दूरभाष की सुविधा के अतिरिक्त मोबाईल रिचार्ज के लिए प्रति माह अधिकतम 1000/- (एक हजार) रु० देय होगा ।

(iv) समाचार पत्र एवं पत्रिका — उन्हें समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं पर व्यय हेतु प्रति माह अधिकतम 800/- (आठ सौ) रु० अनुमान्य होगा ।

(8) आयोग के अन्य सदस्यों का वेतन एवं अन्य भत्ता राज्य सरकार के सचिव कोटि के प्रवेश वेतन के समतुल्य निम्नवत् होगा :-

20/6

(i) आयोग के अन्य सदस्यों का वेतन 53000/- (तिरपन हजार) प्रति माह नियत होगा। वेतनमान पुनरीक्षण होने की स्थिति में इसमें भी तदनुसार संशोधन प्रभावी होगा।

(ii) कर्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा भत्ता - निजी कार से सड़क मार्ग से कर्तव्य के लिए यात्रा हेतु बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के अधीन यात्रा भत्ता देय होगा।

(iii) आवास की सुविधा - सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उन्हें वेतन का 20 (बीस) प्रतिशत मकान किराया भत्ता के रूप में देय होगा।

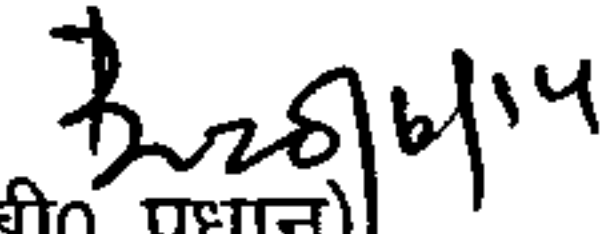
(iv) वाहन की सुविधा - उन्हें एक ए0सी0 वाहन (प्रति माह 250 (दो सौ पचास) लीटर अधिकतम ईंधन की सीमा तक) उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन अनुपलब्धता की स्थिति में एक ए0सी0 एम्बेसडर कार अथवा पर्यटन विभाग द्वारा एम्बेसडर कार के लिए निर्धारित दर के अन्दर एक ए0सी0 वाहन भाड़े पर उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिसके लिए परिचालन की मासिक अधिसीमा 3000 (तीन हजार) किलोमीटर होगी।

(v) दूरभाष की सुविधा - उन्हें कार्यालय एवं आवास पर एक-एक दूरभाष की सुविधा के अतिरिक्त मोबाईल रिचार्ज के लिए प्रति माह अधिकतम 1000/- (एक हजार) रु0 देय होगा।

(vi) समाचार पत्र एवं पत्रिका - उन्हें समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं पर व्यय हेतु प्रति माह अधिकतम 800/- (आठ सौ) रु0 अनुमान्य होगा।

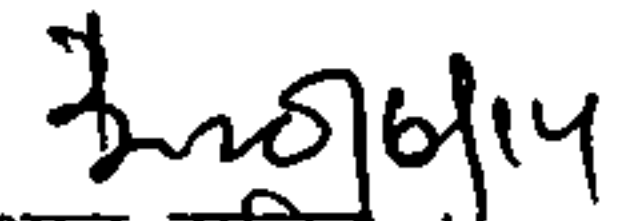
3. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 17.06.2014 को मद संख्या - 01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या- प्र06-विविध-08/2014- 23/टि0।

आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय।


(बी0 प्रधान)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - ज्ञापांक- प्र06-विविध-08/2014 3664 खाद्य-पटना/दिनांक- 23/06/2014
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

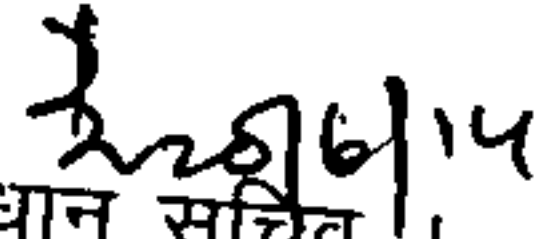

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - ज्ञापांक- प्र06-विविध-8/2014 3664 खाद्य-पटना/दिनांक- 23/06/2014
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

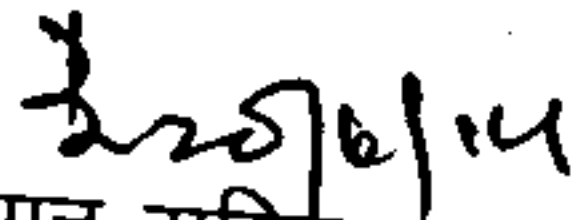

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - ज्ञापांक- प्र06-विविध-08/2014 3664 खाद्य-पटना/दिनांक- 23/06/2014
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के
प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय
आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन,
पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव,
बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित ।

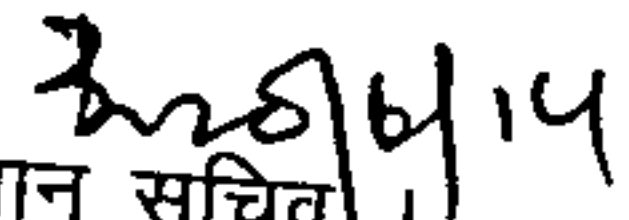
प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय
/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्वदों को अविलंब सूचित करा दें ।


प्रधान सचिव ।

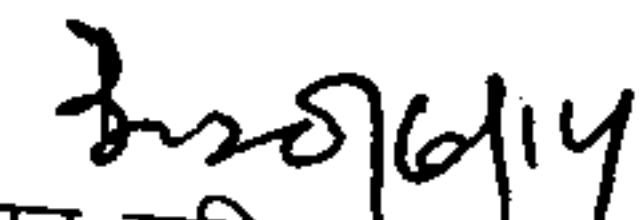
ज्ञापांक - ज्ञापांक- प्र06-विविध-08/2014 3664 खाद्य-पटना/दिनांक- 23/06/2014
प्रतिलिपि - बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/अपर सचिव-सह-
सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - ज्ञापांक- प्र06-विविध-08/2014 3664 खाद्य-पटना/दिनांक- 23/06/2014
प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान
सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - ज्ञापांक- प्र06-विविध-08/2014 3664 खाद्य-पटना/दिनांक- 23/06/2014
प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं ई-मेल करने हेतु हेतु
प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।